SBI

# भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

## सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 67 वीं वार्षिक महासभा बुधवार 22 जून 2022 को अपराह्न 03.00 बजे "स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक भवन परिसर, मादाम कमा रोड, मुंबई - 400021 में आयोजित की जाएगी। यह बैठक निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फरेन्सिन्ग/अन्य ऑडियो- विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी :

"भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2022 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की भारतीय स्टेट बैंक के कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना"।

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कमा रोड
मुंबई - 400021
दिनांक : 13.05.2022

(दिनेश कुमार खारा)
अध्यक्ष

अनुलग्नक

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में पहुंचने और भाग लेने तथा दूरस्थ ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने के लिए सामान्य निर्देश

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, जिसके बाद 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 और 14 दिसंबर, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या: 21/2021 ('एमसीए परिपत्र') द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या: 21/2021 के अनुसरण में, ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है और वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो साधनदृश्य (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक(एजीएम) आयोजित किए जा सकते हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक की महासभा बैठक आयोजित करने में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों को अपनाने का फैसला किया है। इसलिए, शेयरधारक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी आम बैठक में भाग ले सकते हैं और जिसके लिए एक साझा स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। बैठक के लिए डीम्ड सभा स्थल बैंक का स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, कॉरपोरेट केंद्र होगा।
2. बैंक के सदस्यों को दी जा रही वीसी सुविधा को देखते हुए एसबीआई जनरल रेगुलेशन, 1955 के रेगुलेशन 34 में दिए गए सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने और वोट डालने की सुविधा इस आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि, निकाय कारपोरेट भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम,1955 के विनियमन 32 और 33 में प्रदान किए गए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का हकदार है ताकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठक में भाग लिया जा सके और ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट डाला जा सके।
3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निधारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओवीएम मोड में आम बैठक में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठक में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (शेयरधारकों के पास 2% या उससे अधिक शेयरहोल्डिंग), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारकों की संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना आम बैठक में भाग लेने की अनुमति है।
4. एसबीआई जनरल रेगुलेशंस, 1955 के रेगुलेशन 24 के तहत कोरम की गणना करने के उद्देश्य से वीसी/ओवीएम के माध्यम से आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।
5. सेबी के प्रावधान विनियम 44 (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 (संशोधित के रूप में) कंपनी अधिनियम की धारा 108 के साथ पढ़ा गया, 2013 कंपनी अधिनियम (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ा गया, (संशोधित रूप में), और एमसीए परिपत्र बैंक सामान्य बैठक में लेनदेन किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। शेयरधारक को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एक सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा के साथ-साथ 22 जून, 2022 को वार्षिक महासभा बैठक की तारीख को वोट डालने की सुविधा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी।
6. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के अनुरूप, महासभा बैठक आमंत्रित करने वाला नोटिस www.sbi.co.in में बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस नोटिस में क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com में स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों से भी देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा बैठक की सूचना केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, अर्थात् https://emeetings.kfintech.com
7. 12 मई 2020 को एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठकें बुलाई गई हैं और यदि स्थितियां अनुकूल हैं और स्थानीय प्राधिकरण आम बैठक आयोजित करने की अनुमति देते हैं तो एसबीआई अधिनियम और एसबीआई सामान्य विनियम, 1955 के संदर्भ में बैठक बुलाई जा सकती है।
8. संयुक्त धारकों के मामले में एसबीआई सामान्य विनियम, 1955 के विनियमन 7 के संदर्भ में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार प्रथम नाम वाला सदस्य आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा बशर्ते कि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले से ही वोट नहीं डाले जाते हैं।
9. जो सदस्य वीसी के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प चुनते हैं और जो दूरदराज के ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालते हैं, उन्हें आम सभा में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

दूरस्थ ई-मतदान के लिए सदस्यों के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं:

दूरस्थ ई-मतदान की अवधि 16 जून, 2022 को 10.00 **AMIST** से शुरू होती है और 21 जून, 2022 को 05:00 **PMIST** पर समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा वोट डाले जाने के बाद, शेयरधारक को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जो एसबीआई सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में दिए अनुसार कट-ऑफ तिथि पर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

मैं केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड **e-Voting system** का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कैसे करूँ?

1 ) केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (डीमैट और भौतिक शेयरधारकों के लिए) के पोर्टल के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

I. कट-ऑफ तिथि को वोट करने के पात्र शेयरधारकों को ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करना होगा: https://evoting.kfintech.com जिसका उपयोग 16 जून, 2022 को सुबह 10.00 बजे खुलने पर किया जा सकेगा।
ii. लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें (जैसा कि केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा ईमेल द्वारा सूचित किया गया है).
iii. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
iv. आप पासवर्ड परिवर्तन मेनू तक पहुंच जाएंगे जिसमें आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है। नए पासवर्ड में कम से कम एक ऊपरी केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष वर्ण (@,#,$, आदि) के साथ न्यूनतम 8 वर्ण शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ईमेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर को भी दर्ज कर सकते हैं। यह बात पूरी गंभीरता से कही जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
v. आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता है।
vi. सफल लॉगिन पर, सिस्टम आपको ईवन यानी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए प्रेरित करेगा। मतदान पृष्ठ पर, कट-ऑफ तिथि को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या (18 मार्च, 2022) दिखाई देगी। शेयरधारक (ओं) के पास ASSENT या DISSENT पर क्लिक करके रिजोल्यूशन के लिए वोट करने का विकल्प होगा। पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए रद्द करें. एक बार जब आप पुष्टि करते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान की अवधि के दौरान, शेयरधारक कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि वे प्रस्तावों पर मतदान नहीं करते हैं।
vii. कई फोलियो / डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा।
viii. पोर्टल पूर्वोक्त के रूप में बंद हो जाएगा और सुविधा के बंद होने पर तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा।
ix. बैंक ने मैसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, की नियुक्ति जांचकर्ता के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए, ।
x. संस्थागत शेयरधारकों (यानी व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (आईईएस) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजना आवश्यक है, जो ई-मेल के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत हैं: cs@parikhassociates.com
xi. ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तारीख और 67 वीं एजीएम / वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के लिए नोटिस के प्रेषण के लिए कट-ऑफ तारीख के बीच शेयर प्राप्त करने वाले शेयरधारकों और अपने संबंधित डीपी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कर चुके हैं, उन्हें एजीएम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा संचार भेजा जाएगा। ऐसे शेयरधारक विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
xii. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या श्री एस वी राजू, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032 (ई-मेल) से संपर्क कर सकते हैं। v-raju.sv@kfintech.com/ v-nagaraja.ds@kfintech.com फोन नंबर 1-800-309-4001 (टोल फ्री)) है।

ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

- केवल डीमैट में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लागू

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को अपने डीमैट खातों में अपडेट करें।

व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करें

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

| एनएसडीएल | सीडीएसएल |
|---|---|
| 1. पहले से ही **IDeAS** सुविधा के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ता:<br>I. URL: https://eservices.nsdl.com<br>II. 'IDeAS' अनुभाग के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें।<br>III. नए पृष्ठ पर, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।<br>IV. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर फिर से निर्देशित किया जाएगा। | **1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/ Easiest के लिए चुना है**<br>I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या URL: www.cdslindia.com<br>II. New System Myeasi पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें.<br>III. आगे किसी प्रमाणीकरण के बिना ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा.<br>IV. अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें। |
| 2. जो उपयोगकर्ता **IDeAS** ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं<br>I. रजिस्टर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com<br>II. "IDeAS के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करें'<br>III. आवश्यक फ़ील्ड को पूरा करने के साथ आगे बढ़ें।<br>उपयोगकर्ता **IDeAS** ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं<br>I. पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp<br>II. आवश्यक फ़ील्ड को पूरा करने के साथ आगे बढ़ें। | 2. जो उपयोगकर्ता **Easi/ Easiest** के लिए पंजीकृत नहीं हैं<br>I. पंजीकरण करने के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है<br>II. आवश्यक फ़ील्ड को पूरा करने के साथ आगे बढ़ें। |
| 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर:<br>I. URL https://www.evoting.nsdl.com/<br>II. आइकन 'लॉगिन' पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक / सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।<br>III. उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें (यानी एनएसडीएल के साथ दर्ज 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड।<br>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं।<br>V. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। | 3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर:<br>I. URL www.cdslindia.com<br>II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें।<br>III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज किया गया है।<br>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है। |

व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले) जो अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं।

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉग इन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

| किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य - एनएसडीएल | किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य - सीडीएसएल |
|---|---|
| लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 | लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं। |

- गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू

गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और निर्देश निम्नानुसार हैं:

1 ) प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल के मुख्य भाग में प्रदान किया जाता है।
2) इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें और URL टाइप करें :एड्रेस बार में https://evoting.kfintech.com करें।
3) अपने ईमेल में बताए गए लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। आपका फोलियो नंबर /डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी। हालाँकि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए KFin के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो अपने वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
4) उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
5 ) आप पासवर्ड परिवर्तन मेनू तक पहुंच जाएंगे जिसमें आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होगी। नए पासवर्ड में कम से कम एक ऊपरी केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष वर्ण (@,#,$, आदि) के साथ न्यूनतम 8 वर्ण शामिल होंगे। यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
6) आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता है।
7) सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम आपको भारतीय स्टेट बैंक का चयन करने के लिए प्रेरित करेगा
8) मतदान पृष्ठ पर, कट-ऑफ तिथि के रूप में आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप प्रस्ताव के लिए वोट सहमति / असहमति डालना चाहते हैं, तो सभी शेयर दर्ज करें और 'FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें जैसा कि मामला हो। आप 'एब्स्टेन' विकल्प भी चुन सकते हैं और इस स्थिति में धारित शेयरों को किसी भी शीर्ष के तहत नहीं गिना जाएगा।
9) कई फोलियो /डीमैट खातों वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
0) एक उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट डालें और 'Submit' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। पुष्टि करने के लिए 'ठीक' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'रद्द करें'। एक बार जब आप पुष्टि करते हैं, तो आपको बाद में अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, आप कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि आप पुष्टि नहीं कर लेते कि आपने प्रस्ताव पर मतदान किया है।
कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को आवश्यक बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / प्राधिकरण पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ ईमेल के माध्यम से स्क्रूटाइज़र को भेजना आवश्यक है, जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं/ हैं,: cs@parikhassociates.com और इसे अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयरों को भौतिक मोड में रखा जाता है, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा इस मेल आईडी पर प्रदान करें: investor.complaints@sbi.co.in
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी-सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) इस मेल आईडी पर प्रदान करें: ळपींशीीं.लोश्रिरळपीशिलल.ले.ळप यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, आपसे अनुरोध है कि ऊपर दी गई लॉगिन विधि को देखें, अर्थात् ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि - केवल डीमैट में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लागू होता है।
3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक / सदस्य उपरोक्त दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वी ओटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना होगा।

वार्षिक आम सभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक आम सभा के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से रिजोल्यूशन पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे वार्षिक महासभा बैठकमें ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वार्षिक महासभा बैठकमें भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे वार्षिक महासभा बैठकमें मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक महासभा बैठकके दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

शेयरधारकों के लिए वीसी /ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक को केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेडई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी /ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेडई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके उपयोग कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के समक्ष 'जनरल मीटिंग में शामिल हों' मेनू के तहत रखे गए 'वीसी /ओएवीएम लिंक' का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जनरल मीटिंग मेनू में शामिल हों के तहत रखे गए वीसी/ ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा और एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि जो प्रतिभागी मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण उनका ऑडियो / वीडियो संपर्क बीच में टूट सकता है इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त समस्या को कम करने के लिए स्थिर टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
5. शेयरधारक जो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं / जिनके पास प्रश्न हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए 18 जून, 2022 को दोपहर 01.00 बजे तक अपने प्रश्न इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं: investor.complaints@sbi.co.in बैंक द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।
6. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

मतदान अधिकारों का निर्धारण - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 11 में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक शेयरधारक जो एक आम बैठक की तारीख से कम-से-कम तीन महीने की अवधि के पूर्व अर्थात् 18.03.2022 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी बैठक में, उसके द्वारा आयोजित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा।

केंद्र सरकार के अलावा प्रत्येक शेयरधारक को उपर्युक्त के रूप में मतदान करने का अधिकार है, जो एक कंपनी नहीं होने के नाते व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मौजूद है या जो एक कंपनी होने के नाते एक विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मौजूद है, या प्रॉक्सी द्वारा हाथ के एक शो पर एक वोट होगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा जो महासभा की बैठक की तारीख से कम-से-कम तीन महीने की अवधि के पूर्व अर्थात् 18.03.2022 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के पास हाथ के प्रदर्शन पर एक वोट होगा और मतदान की स्थिति में, ऐसी बैठक की तारीख से पहले तीन महीने से पूर्व की अवधि के लिए आयोजित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा।

स्क्रूटिनाइज़र, वार्षिक महासभा की बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, पहले वार्षिक महासभा बैठक के दौरान डाले गए वोटों की गणना करेगा, उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और पक्ष में या विरोध डाले गए कुल वोटों की एक समेकित संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट बनाएगा जो वार्षिक महासभा बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के बाद न हो। वह रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाए जिस पर उसके प्रति-हस्ताक्षर हों।

स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in और केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की वेबसाइट पर तत्काल https://evoting.kfintech.com रखा जाएगा। बैंक एक साथ परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अग्रेषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कमा रोड
मुंबई - 400021
दिनांक : 13.05.2022

(दिनेश कुमार खारा)
अध्यक्ष

**शेयरधारक दिनांक 01.06.2022 से बैंक की https://sbi.co.in/web/investor-relations/annual-report इस वेबसाइट से 2021 - 22 कि वार्षिक रिपोर्ट को देख और डाउनलोड कर सकते हैं**